

# बिहार गजट

# असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1930 (श0)

(सं0 पटना 577)

पटना, सोमवार 22 दिसम्बर 2008

#### विधि विभाग

#### अधिसूचनाएं 22 दिसम्बर 2008

सं0-एल0जी0-1-22/2008/लेज:187-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।

## (बिहार अधिनियम 28, 2008)

बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008

प्रस्तावनाः— असाधारण स्थिति यथा प्राकृतिक आपदा में अतिरिक्त कर की देयता से विमुक्ति देने तथा रिटर्न दायर करने और कर जमा करने की तारीख बढ़ाने हेतु प्रावधान करने के लिए बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्या—27/2005) में संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसंदवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ |--
  - (1) यह अधिनियम बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम सं० 27/2005) की घारा—3 क क में संशोधन ।—

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम सं० 27/2005) की धारा—3 क क की उप धारा (3) के बाद एक नयी उप धारा (4) निम्न प्रकार से अन्तःस्थापित किया जायेगाः—

- (4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लोकहित में अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट निबर्धन एवं शर्त्तों के अध्यधीन अतिरिक्त कर के उदग्रहण से विमुक्ति दे सकेगी।
  - 3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा–24 में संशोधन।–

(1). बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27/2005) की धारा–24 की उप धारा (6) में एक परन्तुक निम्न प्रकार से अन्तःस्थापित किया जायेगा :--

''परन्तु यह कि आपदा जैसी असाधारण स्थिति में आयुक्त किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभिलिखित विशिष्ट कारणों से सामान्य रूप से या किसी क्षेत्र विशेष के व्यवसायियों के लिए उप धारा (6) में विवरणी या त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की निर्धारित तारीख को किसी अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे किन्तु यह वृद्धि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार विवरणी या त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की नियत तिथि को निर्धारित तिथि से छह माह की अवधि तक बढ़ा सकेगी किन्तु एक बार में तीन माह से अधिक नहीं होगी।"

- (2). बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-24 की उप धारा (9) के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड (घ) निम्न प्रकार से अन्तःस्थापित किया जायेगाः-
- ''(घ) इस उप धारा के खण्ड (क) एवं (ख) में अन्तर्विर्निष्टि किसी बात के होते हुए भी आयुक्त आपदा जैसी असाधारण स्थिति में सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा अभिलिखित विशिष्ट कारणों से सामान्य रूप से या किसी क्षेत्र विशेष के व्यवसायियों के लिए इस उप धारा के खण्ड (क) एवं (ख) में कर भुगतान हेतु नियत तारीख की अवधि को बढ़ा सकेंगे किन्तु यह वृद्धि 3 माह से अधिक नहीं होगी।

परन्तु राज्य सरकार इस उप–धारा के खण्ड (क) एवं (ख) में यथा विहित कर भुगतान की नियत तारीख को छह माह तक की अवधि तक बढा सकेगी किन्तु एक बार में तीन माह से अधिक नहीं होगी।"

- 4. निरसन एवं व्यावत्ति ।-
- (1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, २००८ (बिहार अध्यादेश संख्या ३, २००८) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के रहते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।

#### 22 दिसम्बर 2008

सं0-एल0जी0-1-22/2008/188 लेजः।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को अनुमत बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।

## (Bihar Act 28, 2008)

# THE BIHAR VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2008

# AN

#### **ACT**

Preamble: To amend the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) and to make provision for exemption from levy of additional tax and to extend the date of filing return and payment of tax in extra ordinary situation such as natural disaster etc.

**BE** it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty-ninth year of the Republic of India as follows:-

- 1 . Short title, extent and Commencement—
- (1) This Act may be called the Bihar Value Added Tax (Amendment) ACT 2008.
  - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.
- 2 . Amendment of Section-3 A A of Bihar Value Added Tax Act 2005 (Act no. 27/2005).-

After Sub-Section (3) of Section-3 A A of the Bihar Value Added Tax Act 2005 (Act 27/2005) a new sub-section (4) shall be inserted in following way:-

- (4) Notwithstanding anything contained in this section, the State Govt. may, by notification and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein exempt from the levy of Additional Tax in the public interest.
- 3 . Amendment of Section-24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).—
- (1) A Proviso to sub-section (6) of section-24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27/2005) shall be inserted in the following way:-

"Provided that the Commissioner may, by a general or specific order in extraordinary situation such as disaster, for specific reasons to be recorded in writing, extend the date of filing return/quarterly statement of dealers in general or for a specific area for any period beyond stipulated date in sub-section (6) provided that such extension shall not exceed three months.

Provided also that the State Government may extend the due date of filing return / quarterly statement beyond stipulated date for a period of six months but not more than three months at a time."

- (2). After clause (c) of sub-section (9) of section-24 of the Bihar Value Added Tax Act 2005, a new clause (d) shall be inserted in the following way:
- "(d) Notwithstanding anything contained in para (a) and (b) of this sub-section the Commissioner may, by a general or specific order in extra ordinary situation such as disaster, for specific reasons to be recorded in writing, extend the date of payment of tax for dealers in general or for a specific area for a period beyond stipulated date in sub-section (a) provided that such extension shall not exceed three months.

Provided that the State Government may extend the due date of payment of tax as prescribed in clause (a) and (b) of this sub-section upto a period of six months but not more than three months at a time."

- 4. Repeal and Savings .-
- (1) The Bihar Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2008, (Bihar Ordinance no. 3, 2008) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any powers conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act was in force on the day on which such thing or action was done or taken.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 577-571+400-डी0टी0पी0।